**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा उत्पादन विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3366**

**26 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए**

 **आयुध निर्माणी बोर्ड में अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया**

**3366. डॉ. वी. मैत्रेयन:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या सरकार को इस बात जानकारी है कि आयुध निर्माणी बोर्ड(ओएफबी) द्वारा अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) 28 फरवरी, 2017 को हुई बोर्ड की बैठक में त्रुटिपूर्ण पाई गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने के संबंध में उस बैठक में किस कार्यसूची पर चार्चा और विचार-विमर्श किया गया है;

(ग) क्या सरकार को आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा अपनाई जा रही मानक संचालन प्रक्रिया में अचानक खामियां नजर आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना पर इतना समय क्यों व्यर्थ किया गया और इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है ।

…2/-

–2-

**आयुध निर्माणी बोर्ड में अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में राज्य सभा में दिनांक 26.03.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 3366 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) से (घ): एक प्रौद्योगिकीय भागीदार का चयन करने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के पास सरकार द्वारा अनुमोदित कोई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) नहीं थी । लघु शस्त्रों (एनपीबी) के उत्पादन के लिए समान रूप से लाभप्रद सहयोग(कोलाबोरेशन) हेतु तीन फर्मों से प्राप्त अभिव्यक्ति की रुचि(ईओई) के प्रत्युत्तर पर राइफल निर्माणी, ईशापुर द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर आयुध निर्माणी बोर्ड की 28 फरवरी, 2017 को आयोजित 2017 की द्वितीय बोर्ड बैठक में विचार-विमर्श किया गया था । विचार-विमर्श के उपरांत, बोर्ड ने मैसर्स ग्रांड पॉवर, स्लोवाकिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुमोदनार्थ रक्षा उत्पादन विभाग से सिफारिश करने का निर्णय लिया था । प्रौद्योगिकीय भागीदार के चयन के लिए ओएफबी द्वारा अगस्त, 2017 में भेजे गए एसओपी के मसौदे की रक्षा उत्पादन विभाग में जांच की गई और ओएफबी को मंत्रालय के सुझावों को शामिल करने का निदेश दिया गया था । ओएफबी ने संशोधित एसओपी में, मंत्रालय के सुझावों को शामिल करके इसे फरवरी 2018 में प्रस्तुत किया था जिसे मंत्रालय ने जांच के बाद मार्च, 2018 में अनुमोदित कर दिया है ।

**\*\*\*\*\***